महाकाल लोक के 18 दुकानदारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

- अवैध शुल्क वसूली पर लगी रोक
- स्मार्ट सिटी की एक भी दलील नहीं चली
- विस्थापित दुकानदारों के पक्ष में आया न्यायालय का फैसला

नव भारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल लोक के मिडवे जोन में विस्थापित हुए 18 दुकानदारों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर से एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है. न्यायालय ने इन दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्मार्ट सिटी और अन्य संबंधित विभागों द्वारा की जा रही अवैध शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है.

महाकाल महलोक में बनी इन दुकानों का निर्णय लंबे समय से कभी स्मार्ट सिटी कभी नगर निगम तो कभी कोर्ट में लंबीत रहा, ऐसे में ना तो खरीदारों को इसका लाभ मिल पाया ना महाकाल लोक घूमने वालो को, श्रद्धालु व यात्री खाने-पीने की दुकानों के लिए तरसते रहे. ऐसे में अब जिस प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश आया है और दो माह में इन दुकानदारों को दुकान चालू करने का जो आदेश दिया गया है उस पर अब जिम्मेदारों को अमल करना होगा. स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अफसर इस आदेश का अध्ययन करेंगे.

श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा

इन दुकानदारों को राहत मिलने के बाद अब ये दुकानें जल्द ही सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी. यह दुकानें महाकाल लोक में घूमने आने वाले श्रद्धालुओं को खाने-पीने की सामग्री फूड स्टॉल्स और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी. इन दुकानों के खुलने से दर्शनार्थियों को अपनी जरूरतों के लिए महाकाल लोक परिसर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका भ्रमण और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा.

इनका कहना है...

लंबे समय से महाकाल लोक की दुकानों का मसला चल रहा था. 18 दुकानदारों की दुकान का मामला हाईकोर्ट की पटल पर आया, सुनवाई हुई और डिसीजन की कॉपी एक दिन बाद मिलेगी.

- महेंद्र जैन ,एडवोकेट

हाई कोर्ट का अहम निर्णय-हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से महाकाल लोक के मिडवे जोन में दुकान आवंटित किए गए 18 विस्थापित दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है. मिली जानकारी के अनुसार, स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों द्वारा कोर्ट में पेश किए गए तर्क और दलीलें पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुईं. न्यायालय ने इन तर्कों को अमान्य करते हुए विस्थापितों के पक्ष में फैसला दिया.

विवाद और शुल्क वसूली पर रोक-ये दुकानदार वर्ष 2020 से अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे. उन्हें महाकाल फूड जोन से महाकाल मिडवे जोन में विस्थापित किया गया था. विवाद तब शुरू हुआ जब मिडवे जोन में नीचे की दुकानों के टेंडर करोड़ों रुपए में गए. इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रशासन ने इन्हीं विस्थापित दुकानदारों से भी अतिरिक्त बेजा अवैध शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली थी. हाई कोर्ट ने प्रशासन की इस तैयारी पर सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत रोक लगा दी है. अब स्मार्ट सिटी इन दुकानदारों से कोई भी अवैध शुल्क नहीं वसूल पाएगी.

पन्ना टाइगर रिजर्व में गाइडों की हड़ताल से पर्यटक परेशान

पन्ना . पन्ना टाइगर रिजर्व में गाइडों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से पर्यटक परेशान हो रहे हैं . गाइडों के न होने से पर्यटक वाहनों के साथ कोर जोन में प्रवेश के दौरान नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति बन रही है . कई पर्यटक बिना गाइड जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर भी असर पड़ रहा है . गाइडों ने बताया कि उनकी हड़ताल का मुख्य कारण क्षेत्र संचालक द्वारा 13 नवंबर को अचानक जारी किया गया वह आदेश है

AXIS BANK

महत्वपूर्ण घोषणा

हम अपना पता बदल रहे हैं

अशोका गार्डन मे ऐक्सिस बैंक की शाखा २३ जनवरी २०२६ से नए स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी।

वर्तमान पताः

ऐक्सिस बैंक लि., ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 4 ए, ओल्ड अशोका गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश - ४६२०२३ ।

नया पताः

ऐक्सिस बैंक लि., अमृत कमर्शियल सेंटर, रायसेन रोड, अप्सरा सिनेमा के पास पंजाबी बाग, बिजली कॉलोनी, गोविंद पुरा, भोपाल मध्य प्रदेश - ४६२०२३ ।

हम आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।

मध्यप्रदेश में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड

13 जिलों में अलर्ट जारी

भोपाल,19 नवम्बर.मध्यप्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं ने सर्दी को चरम पर पहुँचा दिया है. सुबह और रात की ठिठुरन अब दिन में भी महसूस होने लगी है.

प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर गहराता जा रहा है, जबकि कई इलाकों में कोहरा बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और दृश्यता कम होने की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में दिनभर तेज शीत हवाएं चलीं. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग में ठंड पिछले मौसम की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी है. राजधानी भोपाल में मंगलवार शाम से ही हल्की धुंध छा गई, जो रात तक गहराती रही. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि आगामी दिनों में पारा और नीचे जा सकता है.

मौसम विभाग ने शीतलहर की स्थिति को तीन श्रेणियों में बांटकर अलर्ट जारी किया है, शीतलहर: सीहोर, खंडवा, खरगौन, शहडोल और जबलपुर में. तीव्र शीतलहर: भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर में. शीत दिवस की स्थिति: शाजापुर जिले में दर्ज की गई.

> ठंड बढ़ने की एक बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही मौसम प्रणालियाँ भी हैं. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 3 .1 किमी ऊंचाई तक एक चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है. इसके साथ ही 22 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले 48 घंटों में और स्पष्ट होगा, जिसका असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा.

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

इंजीनियरींग कार्य

ई-निविदा सूचना सं.

DRM-BRC 152 OF 2025-26

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (W A/C.), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है । **कार्य का नामः** वडोदरा मंडल :- वडोदरा मंडल पर BRC GER अनुभाग पर TTR (TWS + WCMS) 62 सेट्स, BRC GER और BRC GDA अनुभागों पर TTR (TSR) 72 सेट्स तथा अन्य सहायक ट्रैक कार्य । **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में):** 4,40,84,003.33, **जमा कराने की बीड सुरक्षा (₹ में):** 3,70,400.00, **निविदा जमा कराने एवं निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** निविदा दिनांक 05/12/2025 को 15:00 बजे से पहले जमा की जाएगी एवं उसी दिनांक को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी। **वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीद सकते हैं:** वेबसाईटः @ www.ireps.gov.in मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4

BRC-255

हमें फॉलो करें: X DRMBRCWR • drm_vadodara

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60